सरयू राय

झारखण्ड सरकार

मंत्री
खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं
उपभोक्ता मामले विभाग,
झारखण्ड सरकार।

पत्रांक – 1917/मं०खा०
दिनांक – 14/06/18.

मुख्य सचिव,

सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार के अंतर्गत चल रहे 'मुख्यमंत्री जनसंवाद केन्द्र' का संचालन करने वाली संस्था "माईका एजुकेशन प्राईवेट लि." की कार्य प्रणाली के संबंध में इस संस्थान में पूर्व आई.टी. एक्सपर्ट के रूप में कार्यरत श्री सुमित कुमार द्वारा मुझे प्रेषित शिकायत पत्र की प्रतिलिपि संलग्न है। पत्र के साथ भारी-भरकम अनुलग्नक है। शिकायत पत्र के अनुसार :-

1. 'मुख्यमंत्री जनसंवाद केन्द्र' को चलाने के लिए सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारानिविदा माध्यम से नियुक्त "माईका एजुकेशन प्राईवेट लि." के पास इस हेतु प्रकाशित निविदा में निर्धारित योग्यता नहीं थी।. अतः इनकी नियुक्ति अनियमित है।
2. निविदा प्रपत्र के मुताबिक इस संस्था की नियुक्ति एक वर्ष के लिए हुई थी। निविदा शर्त में कार्य संतोषजनक रहने की स्थिति में इन्हें मात्र अतिरिक्त एक वर्ष का अवधि विस्तार देने का प्रावधान था। परन्तु दो वर्ष बीत जाने के बाद भी नई निविदा प्रकाशित नहीं हुई और यह संस्था पूर्ववत कार्यरत हैं। इसकी नियुक्ति पहली बार 1 मई 2015 से 30 अप्रैल 2016 तक के लिये हुई और निविदा शर्त के अनुसार इसे 1 मई 2016 से 30 अप्रैल 2017 तक एक वर्ष का अवधि विस्तार दिया गया। इसके बाद 'मुख्यमंत्री जनसंवाद केन्द्र' के संचालन के लिये नई शर्तो के साथ निविदा प्रकाशित की जानी चाहिए थी, पर ऐसा किये बिना यह संस्था 1 मई 2017 के बाद अवैधानिक रूप से कार्यरत है और कई तरह का ऐसा वित्तीय लाभ उठा रही है, जिसका प्रावधान निविदा में नहीं था।
3. इनके कर्मियों से 'मुख्यमंत्री जनसंवाद केन्द्र' के अलावा अन्य कई काम भी संस्था द्वारा लिये जा रहें है जो निजी किस्म के हैं।
4. यह संस्था 'जनसंवाद केन्द्र' में आनेवाली कई शिकायतों का निष्पादन अपने स्तर से ही कर देती है जो नियमानुकुल नहीं है।
5. यहां कार्यरत महिला कर्मियों के साथ प्रबंधकों द्वारा अशालीन व्यवहार किया जाता है इस आशय की शिकायत की जांच करने के लिये मुख्य सचिव के निर्देश पर त्रिसदस्यीय जांच समिति गठित की गई थी। जांच में 'मुख्यमंत्री जनसंवाद केन्द्र' के संचालकों पर लगाये गये आरोप सही साबित हुये पर कोई कार्रवाई नहीं हुई।

कार्यालय : झारखण्ड मंत्रालय, प्रोजेक्ट भवन, धुर्वा, राँची। आवास : 1, ए.जी. मोड़ डोरण्डा, राँची।
दूरभाष : 0651-2401023, फैक्स : 0651-2402455, मो. : 9431114466
ई-मेल : saryuroyoffice@gmail.com

Scanned with OKEN Scanner

76 पृष्ठों के इस अभ्यावेदन में उपर्युक्त शिकायतों के अतिरिक्त अन्य शिकायतें भी अंकित हैं जिनके समर्थन में अभ्यावेदन के साथ प्रमाणिक कागजात संलग्न हैं। यह संस्था राज्य सरकार के लिये एक महत्वपूर्ण कार्य कर रही है। यह कार्य आम जनता की शिकायतों के निष्पादन से संबंधित है। एक तरह से यह संस्था विभिन्न विभागों से संबंधित जन शिकायतों का निष्पादन करने में सरकार का सहयोग कर रही है। शिकायतों के निष्पादन के अतिरिक्त यह एजेन्सी फेसबुक, ट्वीटर एवं अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी सक्रिय है। शिकायतकर्त्ता ने अपनी शिकायतों के संबंध में प्रमाणिक दस्तावेज अभ्यावेदन के साथ संलग्न किया है।

प्रथमदृष्टया ये शिकायतें गम्भीर प्रकृति की प्रतीत हो रही हैं और "मुख्यमंत्री जनसंवाद केन्द्र" के संचालन में व्याप्त अनियमिताओं एवं भ्रष्टाचार की तरफ इशारा कर रही हैं। सर्वविदित है कि राज्य सरकार द्वारा "भ्रष्टाचार के प्रति शून्य सहनशीलता" की सार्वजनिक घोषणा की गई है। इस परिप्रेक्ष्य में इन शिकायतों पर ठोस कार्रवाई करना राज्यहित एवं जनहित में उचित होगा। इसके पूर्व शिकायतकर्ता उपलब्ध वैधानिक संस्थाओं का दरवाजा खट–खटा चुका है जहां इनकी समुचित सुनवाई नहीं हुई है और इन्हें न्याय नहीं मिला है। इन्हें धमकाया भी जा रहा है और यह अभियान बंद करने के लिए कहा जा रहा है।

मुझे लगता है कि इस बारे में निम्नांकित कदम उठाये जाने की आवश्यकता है :–

(क) 'मुख्यमंत्री जनसंवाद केन्द्र' के वित्तीय कार्यकलापों का विशेष अंकेक्षण महालेखाकार द्वारा करा लिया जाय।

(ख) अभ्यावेदन में संलग्न गंभीर प्रकृति के आरोपों की जांच भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो से करा ली जाय।

(ग) शिकायतकर्त्ता को समुचित सुरक्षा प्रदान की जाय।

(घ) मुख्य सचिव के निर्देश पर गठित त्रिसदस्यीय जांच समिति द्वारा दोष सिद्ध व्यक्तियों पर कार्रवाई की जाय।

अनुरोध है कि उपर्युक्त के संबंध में ठोस कार्रवाई करने की दिशा में विधिसम्मत पहल करेंगे।

सरयू राय

अनुलग्नक : कुल 67 पृष्ठों का अभ्यावेदन एंव अनुलग्नकों की छाया प्रति।

Scanned with OKEN Scanner

दिनांक–

सेवा में,
सरयू राय जी,
माननीय मंत्री,
झारखण्ड सरकार।

विषयः– झारखण्ड सरकार के अधीन चल रहे मुख्यमंत्री जन–संवाद केन्द्र, जिसका संचालन माईका एजुकेशन प्राईवेट लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है, उसमें हो रही अनियमितता और वहॉ काम करने वाली महिला संवादकर्मी के साथ हुये दुर्वव्यवहार के संबंध में।

महोदय,
साग्रह कहना है कि माईका एजुकेशन प्राईवेट लिमिटेड द्वारा मुख्यमंत्री जन–संवाद केन्द्र का संचालन किया जा रहा है, माईका एजुकेशन प्रा॰ लिमिटेड के चयन एवं कार्यकाल पूरा होने के उपरांत अवधि विस्तार देने में भारी अनियमितता हुई है। वहॉ कार्यरत कर्मचारियों के साथ हमेशा ज्यादती होती है। महिला कर्मचारी के साथ भी व्यवहार अच्छा नहीं होता हैं, इसकी शिकायत पहले भी हुई थी। जॉच हुई कई गंभीर शिकायत सही पाई गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई।

मैं भी लगभग 20 माह तक मुख्यमंत्री जन–संवाद केन्द्र में आई॰ टी॰ एक्सपर्ट के पद पर कार्यरत था। मैं जब वहॉ हो रहे गलत कार्यों में शामिल नहीं हुआ तब वहॉ मेरे साथ भी दुर्वव्यवहार हुआ। उस दौरान मैं आजिज होकर अपने पद से यह कहते हुये इस्तीफा दे दिया कि आपका व्यवहार संवाद एक्सपर्टों के साथ आपत्तिजनक व्यवहार हो रहा है। उन्हे न्याय दिलाने के लिए मैंनें अपना इस्तिफा दे दिया।

महाशय, मैं आपको अवगत कराना चाहता हूँ कि वहॉ माईका एजुकेशन प्रा॰ लिमिटेड कंपनी किस प्रकार गलत कार्य कर रही है, और उसके खिलाफ जॉच कमेंटियों ने रिर्पोट दी है, उसके बाद भी ऐसी कंपनियों को राज्य के अधिकारियों द्वारा संरक्षण मिलना प्रतीत होता है। माईका एजुकेशन प्रा॰ लिमिटेड द्वारा की जा रही गड़बड़ियों की सूची एवं सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा इस संबंध में मांगी जा रही सूचना भी सही ढंग से नहीं दी जा रही है।

Sumit Kumar
11/06/2018

Scanned with OKEN Scanner

(116)

वहाँ की गड़बड़ियों की कुछ बानगी इस प्रकार हैः –

1. मुख्यमंत्री जन–संवाद केन्द्र चलाने के लिए सूचना एवं जनसंपर्क विभाग ने आई• एस• ओ• कंपनी की मांग की थी, जबकि माईका एजुकेशन प्रा• लिमिटेड को इस कार्य के लिए आई• एस• ओ• सर्टिफिकेट नहीं मिला है, इसे ओ• एस• पी• लाइसेंस प्राप्त है।

2. सूचना एवं जनसंपर्क विभाग में मुख्यमंत्री जन–संवाद केन्द्र की महिला संवादकर्मी द्वारा सुखदेव नगर थाना में मुख्यमंत्री जन–संवाद केन्द्र में कार्यरत अधिकारी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी, जिसका समाचार सभी अखबारों में निकला गया था, इस मामले को पूर्णतः अनुसंधान के नाम पर दबा दिया गया, जिनपर आरोप था वह आज भी वहाँ कार्य कर रहे हैं।

3. करोड़ों की निविदा के आधार पर मुख्यमंत्री जन–संवाद केन्द्र चलाया जा रहा है, पर इतना बड़ा कार्य एवं कंपनी को बिना कैबिनेट से पास कराये, उपलब्ध करा दिया गया।

4. मुख्यमंत्री जन–संवाद केन्द्र में आये ज्यादातर शिकायतों को बिना निष्पादन किए ही निष्पादित करा दिया जाता है, शिकायतों के निष्पादन प्रकिया की जॉच हो तो इसमें कई बड़े खुलासे हो सकते हैं।

5. जिस कार्य के लिए निविदा निकाली गई थी, उन निविदाओं में दिए गये नियमों का पालन नहीं किया गया। [redacted]

क) राज्य महिला आयोग के पास कराये गए दर्ज केस सं• 205/2017 के आधार पर राज्य महिला आयोग ने संज्ञान लिया है, लेकिन इसके बाद भी इसे प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है।

ख) सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा बनाई गई त्रिसदस्यीय समिति नें जॉच रिर्पोट में भी माईका एजुकेशन प्रा• लिमिटेड के कार्यों पर ऊँगलियॉ उठाई है। पर उस जॉच रिर्पोट को नजर अंदाज किया जा रहा है और उसके आधार पर माईका कंपनी के खिलाफ कार्रवाई न कर वरीय अधिकारियों के दल ने चुप्पी साध ली है।

6. मैनें जब भी सूचना के अधिकार के तहत सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के अधिकारियों से सूचनाएँ मांगी, बराबर उन सूचनाओं को देने में आनाकानी की गई, बार–बार मुझे दौड़ाया गया और सूचनाओं को छुपाने की भरपूर कोशिश की गई। ऐसा करने में सूचना एवं जनसंपर्क

Sunil Kumar
11/06/2018

Scanned with OKEN Scanner

(147) (3)

विभाग के पूर्व जन–सूचना पदाधिकारी संजय कुमार झा की प्रमुख भूमिका रही और ये महाशय मुझे एक साल तक दौड़ाते रहें।

महोदय, मैं इन मामलों की शिकायत करने का सिलसिला जारी रखा हूँ, तो अब मुझे धमकियॉ भी मिलने लगी हैं। कभी–कभी मुझे मेरे मन में असुरक्षा की भावना भी उत्पन्न होने लगी हैं। मुझे ऐसा लगता है कि माईका एजुकेशन प्रा॰ लिमिटेड एवं राज्य के कई वरीय आला अधिकारियों के साथ गठजोड़ हो गया है। वरीय अधिकारियों द्वारा इसे संरक्षण भी मिल रहा है। इतना ही नहीं जॉच एवं कार्रवाई करने वाली कई एजेंसियों के भीतर भी इनकी पहुँच हो चुकी है। संभवतः इसी कारण से गड़बड़ी सही पाये जाने पर भी जॉच रिपोर्ट के आधार पर उनपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत मांगी गई देय सूचना मुझे नहीं मिली। अबतक राज्य महिला आयोग से भी समय अपेक्षित कार्रवाई नहीं हो पा रही है।

लोकायुक्त कार्यालय में माईका एजुकेशन प्रा॰ लिमिटेड के खिलाफ कुछ कागजात जमा करने में मैं 28/05/2018 को पहुँचा था। उसके बाद वहॉ जो मेरे साथ हुआ वह मेरे द्वारा अगले दिन लोकायुक्त कार्यालय में शिकायत दर्ज करा दी गई। शिकायत पत्र के अवलोकन से स्वतः स्पष्ट हो जायेगा। वहॉ जैसे ही पता चला की मैं माईका एजुकेशन प्रा॰ लिमिटेड एवं सूचना जनसंपर्क विभाग से संबंधित कुछ कागजात देने आया हुँ, तो मुझे धमकाया गया। (दर्ज किये गये शिकायत की छाया प्रति संलग्न)

अतः आपसे निवेदन है कि इन मामलों को माननीय मुख्यमंत्री के संज्ञान में और पूरे मामले की जॉच एवं आवश्यक कार्रवाई करने की कृपा करें।

कुछ संबधित कागजातों की फोटो प्रति इसके साथ संलग्न् (Page 04 to 76) कर रहा हूँ।

सादर।

आपका विश्वासी

Sumit Kumar
11/06/2018

सुमित कुमार,
डुपलेक्स नं॰ 3, कश्यप कॉम्प्लेक्स,
अपोजिट रोड़ नं॰ 3, अशोक नगर,
रॉची, झारखण्ड।
पिन – 834002

Scanned with OKEN Scanner

सेवा में,
लोकायुक्त, झारखण्ड,
रांची।

विषय – आपके कार्यालय में दर्ज एक शिकायत पर कुछ कागजात जमा करने आने पर आपके कर्मचारी अजय कुमार, सहायक लोकायुक्त, कार्यालय द्वारा बेहद खराब आचरण करने के संबंध में।

महाशय,

कल दिनांक 28 मई 2018 को दोपहर के वक्त आपके कार्यालय में किम्मी कुमारी द्वारा दर्ज शिकायत पर उनके तबियत खराब होने की वजह से, अपने इलाज के लिए बंगलूरु जाने की स्थिति में, मैं कागजात जमा करने आया। कागजात जमा करने के बाद घर जाने के लिए निकलने पर स्वागत कक्ष के एक कर्मचारी राजेश कुमार द्वारा मुझे पुनः बुलाया गया और मुझे दुसरी मंजिल में यह कहकर ले जाया गया कि साहेब बुला रहे है।

वहां जाने पर आपके कर्मचारी अजय कुमार सहायक लोकायुक्त द्वारा मुझे काफी भला बुरा कहा गया तथा मुझे सरकारी कार्य में बाधा डालने के आरोप में जेल भेजने की बात कही गई, यहीं नहीं दर्ज शिकायत को बंद करा देने की भी बात उन्होंने की। अजय कुमार ने यह भी कहा कि देखता हूं कि यह केस कैसे आगे बढ़ता है? उन्हें जैसे ही पता चला कि शिकायत सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग की निविदा से संबंधित है, उनके कान खड़े हो गये और शिकायत बद कराने की उन्होंने धमकी तक दे डाली।

जब लोकायुक्त कार्यालय में शिकायत दर्ज कराने आये व्यक्तियों के साथ ऐसी घटना घटेगी, उन्हें बेइज्जत किया जायेगा तथा शिकायत को बंद कराने की बात की जायेगी, उसे जेल भेजने की धमकी दी जायेगी तो फिर लोकायुक्त कार्यालय में लोग अपनी शिकायत दर्ज कराने क्यों और कैसे आयेंगे? अतः आपसे अनुरोध है कि ऐसे कर्मचारी पर न्यायसंगत कार्रवाई करें, ताकि लोकायुक्त कार्यालय की गरिमा प्रभावित न हो।

भवदीय

Sumit Kumar
29/05/2018
सुमित कुमार

29.5.18 लोकायुक्त का कार्यालय झारखण्ड, रांची

कश्यप कम्पलेक्स
डूप्लेक्स संख्या 3
अशोकर नगर गेट नं. 4 के सामने
अशोक नगर, रांची - 834002

Smit Kumar
29/05/2018

प्रतिलिपी
राज्यपाल झारखण्ड

Scanned with OKEN Scanner

117

सेवा में

माननीय लोकायुक्त

झारखण्ड,राँची।

विषय : मेरे द्वारा आपके कार्यालय मे जनसंवाद के खिलाफ दिय गये आवेदन मे छुटी हुई दस्त समाहित/समायोजित करने के संबंध मे ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में सविनय निवेदन पूर्वक कहना है ,कि मेरे द्वारा आपके कार्यालय मे जनसंवाद के खिलाफ आवेदन मे छुटी हुई प्वाइंटवाइज दस्तावेज को समायोजित करने की कृपा करे,इस कार्य हेतु मै सदा आपकी आभारी र बिते माह मेरे माता पिता की देहांत हो चुकी है, मेरी तबियत खराब है,अत इलाज के लिए बंगलुरू मे रहुंगी, इसलिए मेरे इ दुरसंचार तकनिकी संसाधनो पर पत्राचार संपर्क करने की कृपा करे।

* प्वाइंटवाइज छूटे दस्तावेजों को समायोजन करने की कृपा करें।

धन्यवाद।

विश्वासभाजन

Kimi

सुश्री किमी प्रसाद कुमारी

अधिकारी नियारा,श्री कामेश्वरप्रसाद

अगरायती कॉलनी ,चुटिया

रांची झारखंड।

अनु० - (पृष्ठ सं०-1-12)

मो.9470332629 /kimi12prasad@gmail.com

28/05/2018

प्रा०

२/५

28/5/18

लोकायुक्त का कार्यालय

झारखंड, रांची